उनके सामने गांव की समस्याएं रखता था। वह दयालु तथा अतिथि-सत्कार करने वाला था। उसने राजपूतों में बाल हत्या की प्रथा तथा शराब पीने और चोरी की आदत छुड़ाने का कार्य भी किया। वह गांव का संरक्षक माना जाता था। जब भी दो समूहों का विवाद होता वह उसे सुलझाने एवं न्याय करने का कार्य भी करता था। गांव के लोग भी यह जानते थे कि वह गांव की भलाई के लिए कार्य करता है उसने गांव में आर्य समाज और कांग्रेस के आन्दोलन को शक्ति प्रदान की की थी।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ हुई तो गांव के मुखिया के पद के लिए निम्न जातियां भी अपना दावा करने लगीं। पंचायती चुनाव में एक चमार भी पहुंच गया। 1952 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के साथ-साथ गांव में राजपूतों का प्रभुत्व भी कम हुआ है। राजपूत नेता की मृत्यु के बाद गांव का नेतृत्व गांव के इण्टरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में आया। यह व्यक्ति गांव के बाहर का था। शिक्षित होने तथा राजपूतों का सहयोग मिलने से यह व्यक्ति गांव में प्रभावशाली नेता बन गया इसने भी भूतपूर्व राजपूत नेता की तरह गांव के सुधारक, रक्षक और प्रतिनिधि की भूमिका निभायी। विवादों को निपटाने में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान था। उसने गांव के विकास के लिए राजपूत नेताओं की सलाह लेकर कई योजनाएं बनाईं। निम्न जातियों को शिक्षित बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक बुराइयों को दूर करने के पक्ष में था। उसकी न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता के कारण गांव के नहीं वरन् आस-पास के गांव में लोग भी अपने विवादों को लेकर उसके पास आते थे। इस नेता ने भी आर्य समाज व कांग्रेस के आन्दोलन का समर्थन किया तथा गांव की भलाई के लिए अनेक विकास एवं सुधार के कार्य किये। यह भी पहले वाले नेता की भांति गांव में लोकप्रिय था।

ऑरेनस्टीन का अध्ययन (The Study of Orenstein)—हेनरी ऑरेनस्टीन[1] ने महाराष्ट्र के पूना जिले के **गांव** (Goan) ग्राम का अध्ययन किया। इस ग्राम की जनसंख्या 1,500 थी। यहां के अधिकांश निवासी कृषि करते थे और बालूटा प्रथा (जजमानी प्रथा) प्रचलित थी। गांव में 23 हिन्दू जातियां व मुसलमान रहते थे। मराठा संख्या में सर्वाधिक थे। ग्राम का परम्परात्मक मुखिया राजपूतों में से ही होता था। मराठा और राजपूत दोनों ही लड़ाकू एवं कृषि कार्य करने वाली जातियां हैं। गांव में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। ग्राम में दो मुखिया थे, एक कर एकत्रित करने वाला तथा दूसरा पुलिस मुखिया। ये दोनों ही मुखिया राजपूत जाति के तथा रिश्ते में भाई थे। ये पद वंशानुगत होते थे। कर एकत्रित करने में तलाठी मुखिया का सहायक होता था और वह ग्राम की भूमि का रिकार्ड रखने का कार्य करता था।

ऑरेनस्टीन ने गांव में अनौपचारिक नेतृत्व का भी उल्लेख किया है। अनौपचारिक नेतृत्व के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत और अस्वीकृत नेताओं से भी समय-समय पर लोग सलाह लिया करते थे। ब्राह्मण नेता निष्क्रिय (Passive) नेता था और वह कभी भी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। विवाद के समय ऐसे नेता मध्यस्थता करते थे। उच्च जाति के सदस्य होने एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण लोग इनका आदर करते थे। ये दयालु थे और गांव के गरीब लोगों को समय-समय पर आर्थिक सहायता करते थे। गांव में आठ

1 Henry Orenstein, *'Leadership and Caste in a Bombay Village*, ed. by Park and Tinker, pp. 415-426.

और सक्रिय प्रकार के नेता भी थे। ये अपने प्रभाव के लोगों से कार्य कराने की रखते थे क्योंकि ये शक्तिशाली भी थे। निष्क्रिय नेताओं की ही भांति इनकी जातीय भी ऊंची थी। सक्रिय नेता राजपूत और मराठा जाति के थे और वे भी सम्पन्न थे। गांव में कुछ व्यक्ति शक्ति के बल पर अपना कार्य करने वाले भी थे जिन्हें हम अस्वीकृत कह सकते हैं। इस प्रकार के नेताओं की संख्या तीन थी। ये सभी राजपूत जाति के थे। हरिजनों का समर्थन प्राप्त था और विवाह के समय वे उनका पक्ष लेते थे। हरिजन उनके लड़ाई करने को भी तैयार थे। वे शक्ति प्रयोग और धमकी के बल पर अन्य राजपूतों पैसा एकत्रित कर लेते थे जिनसे उनका पुराना झगड़ा चला आ रहा था। हरिजनों की सहायता करने के करण वे भी उन्हें पैसा देते थे।

गांव ग्राम में औपचारिक नेतृत्व के स्थान पर अनौपचारिक नेतृत्व ही अधिक प्रभावशाली पाया गया। स्वीकृत नेता जाति में परिवर्तन के प्रति उदासीन थे और हरिजन उनसे नाराज बदली हुई परिस्थिति का लाभ अस्वीकृत और सक्रिय नेता उठा रहे थे और अपने हितों की पूर्ति के लिए वे हरिजनों का समर्थन प्राप्त करते थे तथा उन्हें भी अपना समर्थन देते थे। इस कार्य को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम ने और भी बल प्रदान किया।

एलन बील्स का अध्ययन—बील्स[1] ने 1952-53 में मैसूर के नामहाली गांव का अध्ययन किया। इस गांव की जनसंख्या 615 थीं। अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे। गांव में कुल जातियां थीं। मादिगा जो कि एक मध्यम श्रेणी की जाति है, के पास गांव की 10 प्रतिशत भूमि थी और उन्हें गांव की 1/6 जनसंख्या का समर्थन प्राप्त था। गांव में 8 जातियां प्रस्थिति की दृष्टि से लगभग समान थीं। गांव में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का नेतृत्व पाया गया। गांव में एक मुखिया और एक लेखपाल (Accountant) था। दोनों ही पद वंशानुगत थे। 300 गांवों पर एक अधिकारी होता था जिसे अमीलदार (Amildar) कहते थे। यह अमीलदार गांव के मुखिया व लेखपाल को दोषी होने पर दण्ड भी देता था। नये कानूनों के आधार पर गांव में चुनी हुई पंचायत भी थी जिसका एक मुखिया था, किन्तु वह इतना प्रभावशाली नहीं था।

गांव में अनौपचारिक और स्वीकृत नेतृत्व ही अधिक प्रभावशाली था। सभी जातियों के मुखियाओं द्वारा निर्मित गांव की एक परम्परात्मक पंचायत थी। यह गांव में शक्तिशाली थी और उसकी तुलना में पंचायती राज के अन्तर्गत निर्मित पंचायत महत्वहीन थी। यह पंचायत गांव की भलाई के कार्य करती थी। इनमें निर्णय बहुमत से लिया जाता था, किन्तु नगरीकरण के प्रभाव के कारण परम्परात्मक गांव पंचायत के कार्य छिन रहे थे क्योंकि गांव के कानूनी और प्रशासनिक अधिकार शहर में चल गये थे। उदाहरणार्थ, गांव पंचायत को अब कर लगाने का अधिकार नहीं था, लोगों को आर्थिक दण्ड देने अथवा बहिष्कृत करने, उत्तराधिकार, भूमि अधिकार, ऋण की समस्या, आदि तय करने का अधिकार भी नहीं था। परम्परात्मक गांव में पंचायत द्वारा दण्ड देने पर लोग बंगलौर न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा लड़ते थे।

इस प्रकार गांव में परम्परात्मक एवं चयनित दोनों ही प्रकार की संस्थाएं नेतृत्व कर रही थीं। गांव में विभिन्न प्रकार के गुट भी सक्रिय थे। एक गुट के सदस्य गुट के नेता से आर्थिक हितों के कारण बंधे हुए थे। गांव में नेतृत्व बिखरा हुआ था और कोई भी ऐसा नेता

[1] Alan Beals, *Leadership in a Mysore Village*, ed. by Park and Tinker, pp. 427-437.

नहीं था जो सारे गांव द्वारा स्वीकृत हो। राजनीतिक एकता के अभाव में गांव के विकास के कार्यक्रम ठप्प पड़ गये थे।

मेकोरमेक का अध्ययन (The Study of Macromack)—मेकोरमेक[1] ने 1983 में **बंगलौर जिले के मोरसरली** (Morsralli) **गांव का अध्ययन किया।** इस गांव में 8 जातियां थीं जिनकी जनसंख्या 504 थी। इसमें से 3/4 जनसंख्या ओक्कालिगा जाति की थी जो एक कृषक जाति है। अपनी आर्थिक एवं संख्यात्मक शक्ति के कारण ओक्कालिगा गांव की प्रभुत्वशाली जाति थी। गांव में दो प्रकार के नेता थे। एक वे जो वंशानुगत थे, दूसरे वे जो सम्पन्नता के कारण विभिन्न गुटों के नेता बन गये थे। वंशानुगत एवं परम्परागत नेता में गांव के उत्सवों का मुखिया, गौदा गांव पंचायत के चार वयोवृद्ध सदस्य, कृषक जाति का मुखिया तथा पटेल (जो रेवेन्यू तथा पुलिस कार्य करता है), आदि आते हैं। ये नेता गांव में विवाद होने पर निर्णय करने, उत्सव, विवाह, फसल काटने, गांव में सड़क बनाने आदि के समय प्रबन्ध का कार्य करते थे। गुट नेता वंशानुगत नहीं थे और ये गांव में उत्सवों आदि के समय संगठन का कार्य करते थे। गुटों के नेता एक-दूसरे पर यह आरोप लगाते थे कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सारे गांव को हानि पहुंचायी है।

परम्परात्मक नेताओं का गांव में प्रभाव क्षीण हो रहा था। इसके प्रमुख कारण थे—लोगों में लौकिकीकरण का प्रसार, ग्राम पंचायत के वयोवृद्ध लोगों की निष्पक्षता के प्रति सन्देह तथा गांव के मुखिया व पटेल का गांव के विवादों को निपटाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के प्रति उपेक्षा आदि। गांव में भूमि की कमी के कारण लोग शहरों में जा रहे थे और शहरों से लौटने पर वे लौकिक विचारों से ओत-प्रोत होते थे। गांव में तीन गुटों के नेता 1943 से 1954 तक अधिक प्रभावी हो गये थे।

बेखनहेमर का अध्ययन (The Study of Bachenheimer)—**बेखनहेमर**[2] **ने आन्ध्र प्रदेश के पाडु** (Padu) **गांव का** 1953-55 **में अध्ययन किया।** इस गांव की जनसंख्या 800 थी। गांव में कुल 18 जातियां थीं। गांव की 60% जनसंख्या का निर्माण चार जातियों द्वारा हुआ है। रेड्डी जाति के पास गांव की 75% भूमि थी। गांव में 8 नेता थे जो गांव के मामलों में दखल रखते थे। ये लोग गांव में निर्णय लेने व सलाह देने का कार्य करते थे। ये गांव के प्रतिनिधि, संरक्षक और सन्देशवाहक माने जाते थे। आठ में से पांच नेता रेड्डी जाति के थे। इन नेताओं की यह विशेषता थी कि वे युवा, शिक्षित और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ थे। एक रेड्डी नेता के पास 30 पशु और गांव की काफी भूमि थी। गांव में उसने कृषि में नये परिवर्तन प्रारम्भ किये और वह नये प्रकार की फसल बो रहा था। यह गांव का अनौपचारिक नेता था। दूसरा नेता भी शिक्षित था। उसकी आयु 40 वर्ष की थी। यह भी भूस्वामी था और उधारी का धन्धा करता था। तीसरे नेता की आयु 48 वर्ष एवं चौथे नेता की आयु 60 वर्ष थी। ये दोनों भी उधारी का धन्धा करते थे। पांचवां नेता भी इन दोनों जैसा ही था।

शेष तीन नेता क्रमशः जंगम, ब्राह्मण एवं लुहार जाति के थे। जंगम नेता के पास 20 एकड़ भूमि थी और वह 60 वर्ष का था। ब्राह्मण नेता अध्यापक था और उसकी आयु भी 60 वर्ष की थी। लुहार नेता की आयु भी 60 वर्ष की थी।

1 William Macormack, *Factionalism in a Mysore Village*, ed. Park and Tinker, *Ibid*, pp. 438-444.
2 R. Bechenheimer, *Elements of Leadership in an Andhra Village*, ed. by Park and Tinker, pp. 445-452.

स्पष्ट है कि पाडु गांव में नेतृत्व के निर्धारण में आर्थिक शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक था। उच्च जाति की सहायता गांव में नेतृत्व निर्धारण में निर्धारक तत्व रहे हैं। गांव में परम्परात्मक नेतृत्व भी प्रचलित था। नदी-घाटी योजना के कारण गांव में राजनीतिक जागृति आ रही थी। शिक्षा एवं संचार के साधनों की वृद्धि से गांव वालों में राजनीतिक चेतना आ रही थी।

एडवर्ड एवं लुईस हारपर का अध्ययन (The Sutdy of Edward and Louise Harper)—**एडवर्ड** एवं **हारपर**[1] ने मैसूर राज्य के टोटागढ़ी (Totagadde) गांव का 1955 में अध्ययन किया। गांव में 8 जातियां थीं, उनमें हविक ब्राह्मण संख्या में सर्वाधिक थे। गांव का आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक नेतृत्व इन्हीं ब्राह्मणों के हाथों में था। ये ब्राह्मण सुपारी के उत्पादन का कार्य करते थे जिससे इनका जीवन-स्तर बहुत ऊंचा था। दूसरे नम्बर पर गांव की छः दस्तकारी एवं कृषि करने वाली जातियां थीं और तीसरे नम्बर पर गांव के अछूत लोग जो हविक ब्राह्मणों की सेवा करते थे, भूमिहीन कृषक थे। गांव में हविक ब्राह्मण प्रमुख जाति थी और गांव की सम्पूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पत्ति, धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक शक्ति इसी जाति में केन्द्रित थी। गांव के सभी लोग इन्हें नेता स्वीकार करने थे और सम्पूर्ण गांव के बारे में में कोई निर्णय यह जाति ही लेती थी। गांव में विकास कार्यों एवं धार्मिक उत्सवों में भी उन्हीं लोगों का नेतृत्व था। एक को छोड़कर सभी ब्राह्मण शिक्षित थे। प्रत्येक जाति का वंशानुगत मुखिया था जो जाति के नियमों का पालन कराने का काम करता था। हविक ब्राह्मण ही अपने में से गांव के मुखिया का चुनाव करते थे। गांव का मुखिया गांव में 'मरियमा' उत्सव का आयोजन करता था। मरियमा गांव की बीमारी की देवी है। गांव का मुखिया प्रभावशाली व शक्तिशाली होता था।

टोटागढ़ी में अब नेतृत्व में परिवर्तन आने लगा था। नया नेता पुराने नेता से आयु में छोटा था और नये नेता ने पुराने नेता का कार्य भार सम्भाल लिया था।

ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान

(EMERGING PATTERNS OF LEDERSHIP IN RURAL INDIA)

उपर्युक्त सभी अध्ययनों और अन्य अनेक ग्रामीण अध्ययनों के आधार पर हम भारत में ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों को इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं :

(1) **लोकतन्त्रात्मक नेतृत्व का प्रादुर्भाव** (Emergence of Democratic Leadership)—गांवों में अब नेतृत्व वंशानुगत नहीं रह गया है। पहले गांवों में पंचायत के मुखिया, जमादार और पटेल, आदि के पद वंश-परम्परा के आधार पर होते थे। ये पद पिता से पुत्र को हस्तान्तरित होते थे। किन्तु प्रदत्त नेतृत्व के स्थान पर अर्जित नेतृत्व का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में **गांवों में लोकतान्त्रिक नेतृत्व का विकास हो रहा है।** गांवों में नेतृत्व प्रदान करने वाले पंचों और सरपंचों का चुनाव लोकतान्त्रिक पद्धति द्वारा होता है। नेता वही होते हैं जिन्हें गांव के अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं, वंशानुगत नेताओं की तरह अब ग्रामीणों पर नेतृत्व थोपा नहीं जाता है।

(2) **युवा नेतृत्व का उदय** (Emergence of Young Leadership)—ग्रामीण नेतृत्व में **अधिक आयु का महत्व घटा है।** पहले यह आवश्यक था कि गांव का नेता वयोवृद्ध पुरुष

1. Edward B. and Louise G. Harper, *Political Organisation and Leadership in a Karnatak Village*, ed. Park and Tinker, pp. 453-469.

ही हो, क्योंकि उनकी धारणा थी कि आयु के साथ व्यक्ति में परिपक्वता आती है, किन्तु अब ग्रामीण नेतृत्व युवा लोगों के हाथों में आ रहा है। ये युवा नेता पुराने नेताओं की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, विचारों में उदार, लौकिक दृष्टिकोण से ओत-प्रोत तथा परिवर्तन को स्वीकार करने वाले हैं। इनमें रूढ़िवादिता एवं कठोरता न होने के कारण ही ये ग्राम विकास की नयी योजनाओं के वाहक हैं।

(3) **उच्च जाति के महत्व में कमी** (Decreasing Importance of Higher Castes)—ग्रामीण नेतृत्व में उच्च जाति का महत्व घटा है। चूंकि पहले नेतृत्व प्रदत्त था, अतः उच्च जातियों के व्यक्ति ही सम्पूर्ण गांव के नेता होते थे, किन्तु बदली हुई परिस्थितियों में निम्न जातियां भी नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आयी हैं। वयस्क मताधिकार के कारण अस्पृश्य और निम्न जातियां अपनी अधिक संख्या का लाभ उठाकर औपचारिक नेतृत्व के पदों को हथिया रही हैं। गांव में प्रभावपूर्ण नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि नेता वहां की बहुसंख्यक जाति का हो। इस प्रकार उच्च जाति का प्रभुत्व कम होता जा रहा है और निम्न जातियां शक्तिशाली हो रही हैं। सरकार द्वारा निम्न जातियों के लिए नयी राजनैतिक व्यवस्था में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। इस कारण से भी ये जातियां नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आ रही हैं।

(4) **सामूहिक नेतृत्व का उदय** (Emergence of Collective Leadership)—व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का उदय हो रहा है। परम्परागत व्यवस्थाओं में सारे गांव का एक ही नेता होता था और नेतृत्व के वंशानुगत होने के कारण दूसरे लोगों के नेता बनने के अवसर नहीं होते थे, किन्तु वर्तमान में निम्न जातियां उच्च जातियों के विरुद्ध संगठित होकर सामूहिक रूप से नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

(5) **नेतृत्व का विकेन्द्रीकरण** (Decentralisation of Leadership)—परम्परागत नेतृत्व निरंकुश और एकात्मक था, किन्तु पंचायती राज द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण किये जाने के फलस्वरूप गांवों में **प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व का उदय हुआ है।** आज नेतृत्व के अवसर किसी धर्म, जाति, व्यवसाय, रंग, लिंग और परिवार तक ही सीमित नहीं हैं। सभी प्रकार के लोग गांवों में नेतृत्व के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। आज गांव से सम्बन्धित निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन् पंचायत के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से लिये जाते हैं। इन पंचायतों में विभिन्न वार्डों के कई जातियों के सदस्य होते हैं।

(6) **शिक्षा का महत्व** (Importance of Education)—नवीन परिस्थितियों में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। आज ग्रामीण नेता पहले की तरह कम पढ़े-लिखे अथवा अनपढ़ के स्थान पर शिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति सरकारी काम-काज को दक्षतापूर्वक कर सकता है। इसलिए ही अशिक्षितों की तुलना में नेतृत्व का लाभ शिक्षितों को अधिक मिलता है। सरकारी नियमों के अनुसार सरपंच के लिए पढ़ा-लिखा होना आवश्यक हो गया है।

(7) **विशेषीकरण** (Specilisation)—ग्रामीण नेतृत्व के क्षेत्र में **विशेषीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।** परम्परात्मक के क्षेत्र में ग्रामीण नेता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखता था, किन्तु वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों के नेता भी अलग-अलग हैं। शिक्षा, कृषि, ग्राम विकास, सहकारी संगठन, परिवार नियोजन और महिला कार्यक्रमों के क्षेत्र में अलग-अलग नेता पाये जाते हैं।

(8) **विस्तृत परिवार का घटता प्रभाव** (Diminishing of Extended Family Importance)—ग्रामीण नेता के लिए अब विस्तृत परिवार का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(9) **जमींदारी का घटता प्रभाव** (Diminishing Importance of Jamindari)—नवीन ग्रामीण नेतृत्व में जमींदारों का प्रभाव क्षीण हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि ग्रामीण नेता भूस्वामी ही हो।

(10) **धन का कम प्रभाव** (Lesser Importance of Wealth)—ग्रामीण नेतृत्व में धन का महत्व भी घटा है। प्राचीन नेतृत्व भू-स्वामियों, व्यापारियों तथा साहूकारों के हाथ में रहता था, किन्तु अब **कृषकों, कृषि मजदूरों और कम आय वाले समूहों को भी नेतृत्व का अवसर मिला है,** यद्यपि परोक्ष रूप से धन का महत्व आज भी बना हुआ है। जहां पंचायत स्तर पर कम आय समूह का प्रभुत्व है वहां खण्ड एवं जिला परिषद स्तर पर चुनाव में काफी धन खर्च होने के कारण धनी लोगों का प्रभुत्व है।

(11) **राजनैतिक जागरूकता** (Political Awarness)—ग्रामीण नेतृत्व में राजनैतिक जागृति पायी जाती है और साधारणतः नेता **किसी न किसी राजनैतिक दल का समर्थक** अवश्य होता है।

(12) **कर्तव्य का महत्व** (Importance of Duty)—ग्रामीण नेतृत्व आज केवल अधिकारों पर ही जोर नहीं देता वरन् कर्तव्यों के पालन पर भी। बिना कर्तव्य पालन के चुनावों में विजय सन्दिग्ध ही होती है।

(13) **स्त्रियों की भागीदारी** (Participation of Woman)—परम्परात्मक नेतृत्व पुरुष-प्रधान था, किन्तु अब **स्त्रियां भी ग्रामीण नेतृत्व में आ रही हैं।** न्याय पंचायत, विकास पंचायत, खण्ड स्तर पर एवं जिला स्तर पर स्त्रियों के लिए 30 प्रतिशत तक स्थान सुरक्षित कर दिए गये हैं। परिणामस्वरूप स्त्रियां भी ग्रामीण नेतृत्व में आगे आ रही हैं।

डॉ. योगेन्द्र सिंह ने ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना के नवीन प्रतिमानों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ग्रामीण नेतृत्व में अब भी उच्च एवं धनवान लोगों का वर्चस्व है। युवा एवं शिक्षित व्यक्ति नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। भूमि पर अधिकार अब भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि भूस्वामी और सम्पत्तिशाली व्यक्ति ही अधिकांशतः शिक्षित होते हैं और उनके बाह्य लोगों से सम्बन्ध होते हैं। नये प्रजातान्त्रीय अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षाओं ने कम शक्तिशाली लोगों को शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, किन्तु आर्थिक बाधा ने उनकी इच्छा में अवरोध पैदा किया है। शक्ति के लिए उत्पन्न नये तनाव की समाप्ति इस रूप में होती है कि परम्परात्मक प्रभुत्वशाली जातियां एवं वर्ग अनुकूलन तथा उखाड़-पछाड़ के द्वारा सत्ता में किसी न किसी प्रकार से बने रहते हैं।[1] ग्रामीण शक्ति परम्परात्मक नेताओं के हाथ से छूट कर नये लोकप्रिय नेताओं के हाथ में आ रही है। नये ग्रामीण नेताओं ने ग्रामीणों की समूह-भक्ति (Group Loyalties) का उपयोग करना सीख लिया है। वे अपने दैनिक जीवन में पूर्ण व्यवहारवादी हैं। वे अपने स्रोतों को जानते हैं और इतने चतुर हैं कि अपने पद का प्रयोग शक्ति में बने रहने के लिए करते हैं। अन्त में हम **रंगनाथ** के शब्दों में कह सकते हैं कि **"इस प्रकार से ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान प्रतिमान नयी प्रकृति और**

1. Dr. Y. Singh, *Modernisation of Indian Tradition*, pp. 188-198